जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम संख्यांक 51)

[21 दिसम्बर, 2006]

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) अधिनियम, 2006 है। संक्षिप्त नाम।

1951 का 25 2. जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 4 में, उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 4 का संशोधन।

"(1) जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक के निम्नलिखित न्यासी होंगे, अर्थात्:—

(क) प्रधानमंत्री – अध्यक्ष,

(ख) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष,

(ग) संस्कृति का भारसाधक मंत्री,

(घ) लोक सभा में विरोधी दल का नेता,

(ङ) पंजाब राज्य का राज्यपाल,

(च) पंजाब राज्य का मुख्यमंत्री, और

(छ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले तीन विख्यात व्यक्ति।"।

धारा 5 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

नामनिर्देशित न्यासियों की पदावधि।

"5. धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन नामनिर्देशित न्यासी पांच वर्ष की अवधि के लिए न्यासी होंगे और पुन:नामनिर्देशन के पात्र होंगे।"।

नई धारा 7क का अंत:स्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

संपरीक्षित लेखाओं का अनुमोदन करने की शक्ति।

"7क. न्यास, न्यास के संपरीक्षित लेखाओं का अनुमोदन करने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगा और ऐसे अन्य कारबार करेगा जो आवश्यक समझे जाएं।"।

नई धारा 8क का अंत:स्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

लेखा और संपरीक्षा।

"8क. (1) न्यास के लेखे की संपरीक्षा भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ऐसे अंतरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, करेगा और उस संपरीक्षा के संबंध में उपगत व्यय न्यास द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और न्यास के लेखे की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में, साधारणत: वे ही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखे की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और उसे विशिष्ट रूप से बहियां, लेखा, संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज और कागज पेश किए जाने की मांग करने और न्यास के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(3) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित न्यास के लेखे उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ हर वर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार संपरीक्षा रिपोर्ट को, यथाशक्यशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।"।

नई धारा 10क का अंत:स्थापन।

6. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना।

"10क. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम या विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों मे पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"।

राष्ट्रपति ने दि जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2006 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

The above translation in Hindi of the Jallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Act, 2006 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार।

Secretary to the Government of India.

MGIPMRND—884OLW(S-4)—17.05.2007.